

भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान
इज्जतनगर — 243 122 (उ० प्र०)

पत्रांक सं० CARI/GC/5-6/2022-23

दिनांक: 10.08.2026

निलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पीलीभीत रोड पर स्थित केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के नये परिसर मे खाली पड़ी भूमि में जगह—जगह जगली घांस (बनचरी) उग गई है। जिसकी पूर्ण रूप से कटाई व निस्तारण हेतु इच्छुक व्यक्ति अपनी दरें निर्धारित प्रपत्र में भरकर मांगे गये दस्तावेजों के साथ दिनांक 14.08.2026 को 12.00 बजे तक संस्थान में जमा कर सकता है।

निदेशक, भा.कृ.अ.प.—के.प.अ.सं., इज्जतनगर को बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को निरस्त अथवा किसी निविदा को अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है और इस मामले में निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी
प्रभारी, सामान्य एवं संविदा अनुभाग

नियम एवं शर्तें

1. इच्छुक निविदादाता दरें भरने से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 से सायं 4.00 बजे तक संस्थान के नये परिसर का स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं।
2. निविदा के साथ निर्धारित बिड सिक्योरिटी रू० 2500.00 (रूपये दो हजार पाँच सौ रुपये मात्र) जो कि **ICAR Unit CARI** के पक्ष में बरेली में देय हो प्राप्त न होने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा और निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
3. निविदादाता अपनी दरें निर्धारित प्रपत्र में भरकर तथा अपने हस्ताक्षर, पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर) के साथ अपनी पहचान के लिए मतदाना पहचानपत्र/आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा आधार कार्ड की छायाप्रति प्रपत्र के साथ उपलब्ध कराये।
4. उच्चतम दरदाता को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत ही आदेश दिया जायेगा और एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण धनराशि एवं कर, यदि कोई हो, तो संस्थान में जमा करना होगा।
5. बिक्री हेतु उपलब्ध जंगली घास (बनचरी) का कटान एवं निस्तारण दिनांक 31.10.2022 तक उपलब्ध रहेगा।
6. जंगली घास (बनचरी) इत्यादि "जहाँ है और जैसी है" पूर्णरूप से काटा जाना होगा। कटान एवं निस्तारण के दौरान संस्थान द्वारा लगाये गये वृक्षों को क्षति पहुँचने पर ठेकेदार दण्ड का भागी होगा।
7. जंगली घास (बनचरी) इत्यादि के कटान व उसके निस्तारण के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए फर्म पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।
8. ठेकेदार अपने मजदूरों की उससे संबंधित सभी शर्तों इत्यादि के सभी कानूनी दायित्वों, मामलों का निपटारा अपने स्तर से करें तथा सभी नियमों एवं लागू कानूनी बंदिशों का पालन करेगा।
9. जंगली घास (बनचरी) इत्यादि के अतिरिक्त अन्य कोई भी समान संस्थान परिसर से बाहर नहीं जायेगा। पकड़े जाने पर उचित दण्ड/कानूनी कार्यवाही का भागी होगा।
10. जंगली घास (बनचरी) इत्यादि काटने वाले मजदूरों की सूची पूर्ण विवरण सहित संस्थान के सुरक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना होगा।
11. एक बार दरें तय हो जाने पर पुनः दरें परिवर्तित नहीं की जायेंगी।
12. जंगली घास (बनचरी) इत्यादि के काटने का समय प्रातः 8.00 बजे से अपराहन 3.00 बजे तक होगा।
13. निदेशक, के.प.अ.सं., इज्जतनगर को बिना कोई कारण बताये सभी निविदाओं अथवा उनके किसी भाग को निरस्त करने अथवा किसी निविदा को अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है और इस मामले में निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

सेवा में,
निदेशक
केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान
इज्जतनगर – 243 122 (उ०प्र०)

विषय : जंगली घास (बनचरी) के कटान व निस्तारण हेतु दरों के सम्बन्ध में।

महोदय,
आपके संस्थान में जंगली घास (बनचरी) के कटान व निस्तारण हेतु हमारी दरें निम्नवत् है।

विवरण	कुल मूल्य
संस्थान के नये परिसर में खाली जमीन पर उगी जंगली घास (बनचरी) के कटान व निस्तारण का कार्य	

धन्यवाद

भवदीय,

हस्ताक्षर

नाम.....

पूरा पता.....

मोबाईल नम्बर.....

संलग्न:

1. बिड सिक्योरिटी रु०2500.00 (बैंक ड्रफ्ट के रूप में)
2. बैंक पासबुक की छायाप्रति
3. पैनकार्ड की छायाप्रति
4. आधार कार्य की छायाप्रति